सोशल मीडिया सेल परिक्षेत्र आजमगढ़

PRESS NOTE RANGE AZAMGARH

जनपद-आजमगढ़/मऊ   प्रेस-विज्ञप्ति   दिनांक 15.09.2026

जनपद-आजमगढ़

01.थाना–अतरौलिया, जनपद–आजमगढ़
थाना अतरौलिया पुलिस द्वारा विभिन्न अभियोगों में वांछित कुल 05 अभियुक्त गिरफ्तार*
दहेज हत्या के 02 मामलों में पति व ससुर समेत 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दहेज में मोटरसाइकिल, सोने की चेन एवं ₹05 लाख की अतिरिक्त मांग से जुड़े मामलों में पुलिस की कार्रवाई
किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार*
छेड़खानी, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी के मामले में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार*

***घटना का विवरण**

थाना अतरौलिया पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न अभियोगों में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी।

दिनांक 02.03.2026 को वादिनी श्रीमती रंजना प्रजापति* द्वारा अपनी ननद अंजली प्रजापति को दहेज में मोटरसाइकिल एवं सोने की चेन की अतिरिक्त मांग को लेकर प्रताड़ित करने तथा ससुरालीजनों द्वारा उसकी हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0 80/2026 धारा 85, 80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत कराया गया था।
इसी प्रकार *दिनांक 07.02.2026 को वादी श्री संतोष सिंह* द्वारा अपनी पुत्री अंकिता सिंह से दहेज में ₹05 लाख की मांग करने, प्रताड़ित करने तथा उसकी हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0 50/2026 धारा 85, 80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत कराया गया था।
दिनांक 19.07.2026 को वादिनी श्रीमती मंता द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री को अभियुक्त रजत द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0 285/2026 धारा 87, 137(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के दौरान साक्ष्य के आधार पर धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।
इसके अतिरिक्त *दिनांक 09.08.2026 को वादिनी* द्वारा उसके साथ छेड़खानी, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने तथा उसकी माता के साथ मारपीट करने के प्रयास के सम्बन्ध में थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0 312/2026 धारा 74, 131, 115(2), 351(3) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के दौरान धारा 118(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण

आज दिनांक 14.09.2026 को *उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार* मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 80/2026 में वांछित *अभियुक्त राजधारी उर्फ दिलीप पुत्र हरिलाल,* उम्र 32 वर्ष को गजेन्धरपट्टी भेदौरा स्थित उसके घर के सामने से समय 09.35 बजे गिरफ्तार किया गया।
इसी क्रम में *उ0नि0 विश्राम गुप्ता* मय पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 50/2026 में वांछित *अभियुक्तगण आनन्द प्रकाश सिंह पुत्र दान बहादुर सिंह, उम्र करीब 28 वर्ष एवं दान बहादुर सिंह पुत्र स्व0 रामउदय सिंह, उम्र करीब 53 वर्ष* को ग्राम लोहरा स्थित उनके घर से समय 09.30 बजे गिरफ्तार किया गया।
उ0नि0 विश्वजीत पाण्डेय मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 285/2026 में वांछित *अभियुक्त रजत पुत्र सूर्यकांत उर्फ सूरज,* उम्र 22 वर्ष को रानीपुर तिराहे से समय 09.25 बजे गिरफ्तार किया गया।
इसी क्रम में दिनांक 13.09.2026 को *उ0नि0 अखिलेश सिंह* मय पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 312/2026 में वांछित *अभियुक्त शैलेश कुमार सिंह पुत्र स्व0 रमाशंकर सिंह,* उम्र 38 वर्ष को उसके अस्थायी निवास प्रताप नगर कॉलोनी, हीरापट्टी, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ से समय 20.55 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया।
इस प्रकार थाना अतरौलिया पुलिस द्वारा उक्त चार अभियोगों में वांछित कुल 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को नियमानुसार मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

1.राजधारी उर्फ दिलीप पुत्र हरिलाल, उम्र 32 वर्ष, निवासी गजेन्धरपट्टी भेदौरा, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।
2.आनन्द प्रकाश सिंह पुत्र दान बहादुर सिंह, उम्र करीब 28 वर्ष, निवासी ग्राम लोहरा, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।
3.दान बहादुर सिंह पुत्र स्व0 रामउदय सिंह, उम्र करीब 53 वर्ष, निवासी ग्राम लोहरा, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।
4.रजत पुत्र सूर्यकांत उर्फ सूरज, उम्र 22 वर्ष, निवासी भीलमपुर छपरा, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।
5.शैलेश कुमार सिंह पुत्र स्व0 रमाशंकर सिंह, उम्र 38 वर्ष, निवासी सिहोरा, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग

1.मु0अ0सं0 80/2026 धारा 85, 80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।
2.मु0अ0सं0 50/2026 धारा 85, 80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।
3.मु0अ0सं0 285/2026 धारा 87, 137(2) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।
4.मु0अ0सं0 312/2026 धारा 74, 131, 115(2), 351(3), 118(2) बीएनएस, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।

02.थाना – गम्भीरपुर, जनपद – आजमगढ़*
गैंगस्टर एक्ट में वांछित ₹25,000/- की इनामिया अन्तर्जनपदीय शातिर अभियुक्ता गिरफ्तार*
पूजा-पाठ के बहाने घर में प्रवेश कर आभूषणों की ठगी करने वाले गिरोह की सदस्य को थाना गम्भीरपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार
अभियुक्ता के विरुद्ध आजमगढ़ एवं जौनपुर जनपद में ठगी/चोरी से सम्बन्धित कुल 05 अभियोग पंजीकृत*

घटना का विवरण

दिनांक 28.08.2025 को थाना गम्भीरपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सरायपलटू की वादिनी के घर में पूजा-पाठ करने के बहाने तीन अज्ञात महिलाओं द्वारा प्रवेश कर आभूषण आदि लेकर ठगी करने की घटना कारित की गयी थी। उक्त घटना के सम्बन्ध में दिनांक 12.09.2025 को थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0-272/2025 धारा 318(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान अभियुक्ताओं की पहचान होने पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी तथा आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

विवेचना में प्रकाश में आया कि अभियुक्ता ग्राम ब्राह्मणपुर झमका, थाना केराकत, जनपद जौनपुर निवासी है तथा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर आर्थिक, भौतिक एवं दुनियाबी लाभ के उद्देश्य से अपराध कारित करती थी। अभियुक्ताओं के विरुद्ध गैंगचार्ट अनुमोदित होने के उपरान्त थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0-45/2026 धारा 2(b)(1)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम, 1986 पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण

अभियुक्ता उक्त गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रही थी। अभियुक्ता की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा दिनांक 07.09.2026 को ₹25,000/- का पुरस्कार घोषित किया गया था। दिनांक 14.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना गम्भीरपुर पुलिस टीम द्वारा समय करीब 12:10 बजे आजमगढ़-मोहम्मदपुर दयालपुर मोड़ से अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्ता को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्ता का विवरण

अभियुक्ता – ग्राम ब्राह्मणपुर झमका, थाना केराकत, जनपद जौनपुर।

पंजीकृत अभियोग

1.मु0अ0सं0-45/2026 धारा 2(b)(I)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम, 1986, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
2.मु0अ0सं0-272/2025 धारा 318(4)/317(2) बीएनएस, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
3.मु0अ0सं0-04/2025 धारा 316(2) बीएनएस, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।
4.मु0अ0सं0-211/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।
5.मु0अ0सं0-42/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना मछलीशहर, जनपद जौनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1.प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार त्रिपाठी, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
2.का0 सन्नी पाण्डेय, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
3.म0का0 अनामिका मिश्रा, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
4.का0 दुर्गेश राय, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
5.म0का0 स्वाती जायसवाल, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

जनपद-मऊ

01.थाना रानीपुर जनपद मऊ।

स्नैचिंग के मामलें में वाछिंत 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, स्नैचिंग का सामान एक अदद पीली धातु का लॉकेट, नगद 1930 रुपये व घटना में प्रयुक्त मो0सा0 बरामद

दिनांक 14.09.2026 को मिर्जापुर गौशाला के सामने हुड़हरा के पास से मु0अ0स0- 106/2026 धारा- 304(2) व 317(2) BNS बीएनएस थाना रानीपुर जनपद मऊ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण क्रमशः 1. सुजीत यादव पुत्र बंशी यादव, निवासी ग्राम छपरा, थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ व 2. नितेश उर्फ गोलू पुत्र स्व. रामकरन निवासी कस्बा व थाना चिरैयाकोट, मऊ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

सक्षिप्त विवरण- दिनांक 09.09.2026 को अभियुक्त ने अस्पताल परिसर से महिला के गले से मंगलसूत्र का लॉकेट झपटा था, जिसे उसने चिरैयाकोट में नितेश उर्फ गोलू की सोने-चांदी की दुकान पर ₹21000 में बेचा था। बरामद रुपये उसी बिक्री के बचे हुए थे, जबकि शेष रकम उसने अपने पिता के इलाज में खर्च कर दी। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल (UP54AX0264) के कागजात न दिखा पाने पर उसे धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज कर मुकदमे में दाखिल किया गया। पुलिस ने अभियुक्त सुजीत यादव को धारा 304(2) व 317(2) BNS के तहत सुबह करीब 11:28 बजे नियमानुसार हिरासत में ले लिया। तत्पश्चात, अभियुक्त की निशानदेही पर ज्वैलर नितेश उर्फ गोलू पुत्र स्व. रामकरन (उम्र करीब 34 वर्ष, निवासी कस्बा व थाना चिरैयाकोट, मऊ) को बुलाया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर नितेश ने अपनी संबंधी के माध्यम से पीली धातु का चोरी गया मंगलसूत्र का लॉकेट मंगवाकर पुलिस को उपलब्ध कराया। मौके पर बुलाई गई वादिनी (पीड़ित महिला) ने बरामद लॉकेट व अभियुक्त सुजीत यादव की स्पष्ट पहचान की, जिसके बाद बरामद माल को नियमानुसार सील-सर्वमुहर किया गया। चोरी का माल खरीदने का अपराध सिद्ध होने पर सह-अभियुक्त नितेश उर्फ गोलू को धारा 317(2) BNS के अंतर्गत दोपहर करीब 13:00 बजे पुलिस हिरासत में ले लिया गया।

पंजीकृत अभियोग

1.मु0अ0स0- 106/2026 धारा- 304(2) व 317(2) BNS बीएनएस थाना रानीपुर जनपद मऊ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1. सुजीत यादव पुत्र बंशी यादव, निवासी ग्राम छपरा, थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ।
2. नितेश उर्फ गोलू पुत्र स्व0 रामकरन निवासी कस्बा व थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ।

गिरफ्तारी का स्थान व समय

1.दिनांक 14.09.2026

2.स्थान- मिर्जापुर गौशाला के सामने हुड़हरा

बरामदगी का विवरण

1. एक अदद पीली धातु का मंगलसूत्र लॉकेट
2. नगद 1930 रुपये

3. एक अदद मोटर साइकिल (घटना में प्रयुक्त)

02.थाना दोहरीघाट जनपद मऊ साइबर पुलिस टीम द्वारा पीडिता का फ्रॉड हुआ कुल धनराशि- 10,000/- (दस हजार रूपया) पीडिता को वापस कराया गया

दिनांक- 14.09.2026 को यूपीआई के माध्यम से पीड़िता/आवेदिका श्वेता सिंह पत्नी विवेकानंद राय निवासी कुरंगा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ के खाते से फ्राड की गयी कुल धनराशि- 10,000/- (दस हजार रूपया) MRM PORTAL के माध्यम से थाना दोहरीघाट साइबर पुलिस टीम जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया।

03. थाना मधुबन जनपद मऊ।

अपहरण व दुष्कर्म के मामलें में वाछिंत 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 14.09.2026 को दुबारी मोड़ के पास से मु0अ0स0- 290/2025 धारा- 87, 64(1) बीएनएस थाना मधुबन जनपद मऊ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त प्रदीप उर्फ काणों पुत्र सुबाष उर्फ डब्बा निवासी ग्राम काटवास थाना मांडन जनपद कोटपुतली (राजस्थान) को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग

1.मु0अ0स0- 290/2025 धारा- 87, 64(1) बीएनएस थाना मधुबन जनपद मऊ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम

1. प्रदीप उर्फ काणों पुत्र सुबाष उर्फ डब्बा निवासी ग्राम काटवास थाना मांडन जनपद कोटपुतली (राजस्थान)।

04.*जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही*

दिनांक- 14.09.2026 को जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग- अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी /बरामदगी व विभिन्न मामलों में वारंटी अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

थानावार कार्यवाही का विवरण

1.थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा वसूली वारंटी अभियुक्तबैजू उर्फ रामरतन पुत्र स्व0 फूलचन्द निवासी हुसैनाबाद थाना चिरैयाकोट मऊ।

अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।